न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 26/2017 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :— 2017/00225

उनवान

1. लाल सिंह पुत्र बहादुर सिंह
2. विद्या देवी पत्नि लाल सिंह
3. वृजराज सिंह पुत्र लाल सिंह
   सभी जाति ठाकुर निवासी खानखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

.....अपीलांट।

बनाम

बलवीर सिंह पुत्र सम्पति उर्फ सम्पत सिंह जाति ठाकुर निवासी खानखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 05.05.2017 प्रकरण संख्या 106/13 उनवानी बलवीर सिंह बनाम लाल सिंह।

अभिभाषकगण :—

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री भगवान सिंह उपस्थित।
2. अभि0 रैस्पो0 श्री अनिल कुमार शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 28.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2017 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 550 रकवा 1.39 है0 ग्राम खानखेडा तहसील बयाना में है जिसमें रैस्पो0/वादी 1/9 भाग का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है एवं शेष 7/9 भाग का अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 02 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रैस्पो0/वादी कुछ समय से अपने दीगर कारोबार की वजह से बालाजी रहता है इसलिए अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गयी है और वह रैस्पो0/वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की 1/9 भाग की आराजी को जबरन छीनना चाहते हैं एवं विवादित आराजी का विभाजन नहीं कराना चाहते हैं एवं आये दिन विवादित आराजी पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जा करने की धमकी देते हैं। यदि प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी/रैस्पो0 को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुए, प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट विवादित आराजी में सह–खातेदार दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट की जवाबदेही व अपीलाण्ट के हक में स्टाम्प कलैक्टर भरतपुर द्वारा जारी किये गये पत्र व विक्रय पत्रो को अनदेखा कर उक्त आदेश पारित किया है। जबकि पेश कर्दा दस्तावेजो के आधार पर विवादित आराजी में रैस्पो0 का किसी भी प्रकार का हिस्सा ही नहीं बनता है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। रैस्पो0 ने विवादित आराजी अपीलाण्ट को दिनांक 30.06.1993 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा विक्रय कर दी थी। परन्तु स्टाम्प ड्यूटी अपूर्ण होने के कारण उनका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हो पाया है। विवादित आराजी के पूरे रकबे पर अपीलाण्ट काबिज चले आ रहे हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने लिखित बहस पेश करते हुए, जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी अपीलाण्ट व रैस्पो0 की सहखातेदारी भूमि है। अपीलाण्ट रैस्पो0 की हिस्से की भूमि को जबरन हडपना चाहते हैं। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर मौके पर रैस्पो0 का कब्जा ना होना व रैस्पो0 के 1/9 हिस्से को रजिस्टर्ड वयनामा से क्रय करना कहते हैं। परन्तु उनके द्वारा उक्त तथ्यो के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलाण्ट सब रजिस्ट्रार का रिकार्ड सन् 2007 के गुर्जर आन्दोलन में जल जाना कहते हैं परन्तु वयनामा सन् 1993 का बताया है अतः सन् 1993 से 2007 तक नामान्तकरण क्यों दर्ज नहीं करवाया स्पष्ट नहीं किया है। असल में रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के हक में कोई वयनामा कभी कराया ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जाँच उपरान्त, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1998 पेज 440, 1994 पेज 569 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु रैस्पो0/वादी का विवादित आराजी में 1/9 हिस्सा है। अपीलाण्ट का कथन है कि रैस्पो0/वादी बलवीर ने विवादित आराजी में अपने सम्पूर्ण हिस्से को विक्रय कर दिया परन्तु बृजराज के हक में विक्रय विलेख इम्पाउण्ड होने एवं तत्पश्चात् गुर्जर आरक्षण आन्दोलन में, सब रजिस्ट्रार का रिकार्ड जल जाने के कारण नामांतकरण नहीं हो पाया। इसका लाभ लेते हुए रैस्पो0/वादी बलवीर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 अन्तर्गत दावा पेश करना बताते हैं। परन्तु रैस्पो0 इसका खण्डन करते हैं। यह बिन्दु साक्ष्य की विस्तृत विवेचना से मूल वाद में तय होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official

जमाबन्दी संवत 2069–72 अनुसार विवादित आराजी में रैस्पो0/वादी एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण रैस्पो0/वादी के हक में बनता है एवं दौराने वाद, विवादित भूमि खुर्द–बुर्द ना हो अतः सुविधा संतुलन भी रैस्पो0/वादी के हक में सिद्ध होती है। दौराने वाद, विवादित भूमि का हस्तान्तरण होने पर अपूर्णनीय क्षति एवं वाद जटिलता व बहुलता होगी। अतः दौराने वादकरण, वाद जटिलता, बहुलता से बचने एवं विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिए, स्थगन न्यायोचित है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, ता फैसला दावा कन्फर्म किया जाकर विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखनें की पाबन्दी आयद की है। परन्तु मौका व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति की विवेचना के अभाव में यह निषेधाज्ञा अस्पष्ट रहती है अतः इसमें हम आंशिक संशोधन करते हुए, विवादित भूमि के दौरान वाद रहन, वय, मुन्तकिल नहीं किये जाने की पाबन्दी भी उचित समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.2017 में आंशिक संशोधन किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि को रहन, वय, मुन्तकिल नहीं किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official